Prof. Khushbu Kumari
Guest Teacher
Dept. of Political science
V.S.J. College, Rajnagar, Madhubani, LNMU

Class - B.A - 2 (H)

Paper - III

Topic - भारत का संविधान (ऐतिहासिक पृष्ठभूमि)

भारत शासन अधिनियम, 1919 (मोंटेग्यू - चेम्सफोर्ड) -

वास्तव में यह एक संशोधनकारी अधिनियम था। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है -

(i) प्रान्तों में द्वैध शासन - इस अधिनियम द्वारा प्रशासन के विषयों को दो भागों में बाँटा गया - केन्द्रीय और प्रान्तीय। केन्द्रीय विषय पर केन्द्र सरकार का नियंत्रण था, जबकि प्रान्तीय विषय को दो भागों में बाँटा गया था - अन्तरित और आरक्षित।

(a) अन्तरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधानपरिषद् को उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था।

(b) आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद् द्वारा किया जाता था। इसमें विधानमंडल के प्रति कोई उत्तरदायी नहीं था।

प्रान्तों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना का प्रयत्न किया गया।

(ii) प्रान्तों पर केन्द्रीय नियंत्रण का शिथिलीकरण - इस अधिनियम द्वारा प्रान्तों पर पूर्ववर्ती केन्द्रीय नियंत्रण प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय विषयों में शिथिल हो गया।

राजस्व के स्रोतों का भी दो भागों में विभाजन किया गया, जिससे प्रान्त अपने द्वारा संग्रहित राजस्व की सहायता से

अपना प्रशासन चला सके। इस प्रकार प्रान्त सरकार को अपना अलग बजट प्रस्तुत करने की शक्ति दी गयी।
लेकिन केन्द्रीय विधानमंडल को पूरे देश के लिए किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति दी गई। कोई भी प्रान्तीय विधेयक गवर्नर-जनरल की अनुमति के बिना कानून नहीं बन सकता था।

(iii) भारतीय विधानमण्डल को और अधिक प्रातिनिधिक बनाया गया —

(a) भारतीय विधानमण्डल को अपेक्षाकृत अधिक प्रातिनिधिक बनाया गया और विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया गया।

(b) उच्च सदन को राज्य परिषद नाम दिया गया जिसमें 60 सदस्य थे और उनमें से 34 निर्वाचित थे।

(c) निचला सदन विधान सभा था। इसमें 144 सदस्य थे जिनमें से 104 निर्वाचित थे।

(d) निर्वाचक मण्डल जाति और मांग पर के आधार पर बनाया गया था।

(v) गवर्नर - जनरल का

* गवर्नर - जनरल को भारतीय विधान मंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने या सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति को बनाये रखा गया।
* गवर्नर - जनरल को यह शक्ति थी कि विधान-मंडल द्वारा पारित नहीं किये गये किसी विधेयक को प्रमाणित कर दे।
* वह आपात की दशा में अध्यादेश बना सकता था, जिसका अस्थायी समय के लिये कानून जैसा महत्व होता था।

1919 के अधिनियम की कमियां :-

(i) प्रान्तों को पर्याप्त शक्तियां देने के बाद भी संरचना केन्द्रीकृत बनी रही।
(ii) प्रान्तीय क्षेत्र में द्वैध शासन से सबसे अधिक असंतोष हुआ।
(iii) भारतीय सिविल सेवा के सदस्य सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा भर्ती किये जाते थे और उसी के प्रति उत्तरदायी रहते थे, मंत्री के प्रति नहीं।
(iv) प्रान्तीय विधानमंडलों के प्रति मंत्रियों के सामूहिक

उत्तरदायित्व की कोई व्यवस्था नहीं थी।
(v) वित्त आरक्षित विषय था और इसलिये कार्यकारी परिषद् के सदस्य के प्रभार में रखा जाता था, मंत्री के नहीं।

साइमन आयोग

(i) असहयोग आंदोलन के बाद 1928 में ब्रिटिश सरकार ने एक कानूनी आयोग नियुक्त किया। इसकी नियुक्ति के बारे में भारत शासन अधिनियम, 1919 में उपबन्ध था।

(ii) इसके अध्यक्ष सर जान साइमन थे, और इसने रिपोर्ट 1930 में दिया।

(iv) इस रिपोर्ट पर गोलमेज परिषद् में विचार किया गया।

(v) इस सम्मेलन के अनुसार तैयार किये गये श्वेत पत्र की ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति द्वारा परीक्षण किया गया और भारत शासन अधिनियम, 1935 का प्रारूप तैयार किया गया।

सांप्रदायिक अधिनिर्णय

ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्जे मैकडोनाल्ड ने 4 अगस्त 1932 को साम्प्रदायिक अधिनिर्णय के आधार पर पृथक् निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई।

* 1935 के अधिनियम में मुसलमानों के

लिये पृथक् प्रतिनिधित्व के साथ ही, सिखों,
यूरोपीय लोगों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन
के लिये भी पृथक् प्रतिनिधित्व था।

Khushbu kumari
25th Aug. 2020

Scanned with CamScanner